भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **5693** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 4 अप्रैल, 2025/ 14 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है

प्रमुख और लघु पत्तनों के बीच विकास असमानता

†5693. श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पत्तन क्षेत्र में समग्र वृद्धि मुख्य रूप से कुछ प्रमुख पत्तनों में ही हो रही है, जबकि कई अन्य पत्तनों और विशेषकर छोटे पत्तनों में धीमी वृद्धि देखी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रमुख और छोटे पत्तनों पर अलग-अलग कार्गो यातायात वृद्धि का ब्यौरा क्या है और इसकी वार्षिक वृद्धि दर क्या है;

(ग) बिहार में पिछले पांच वर्षों में कार्गो और यात्री यातायात सहित अंतर्देशीय जलमार्गों के संबंध में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) पिछले पांच वर्षों में पत्तन और अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार मिला है और बिहार से संबंधित इसका पृथक डेटा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा प्रमुख और छोटे पत्तनों में संतुलित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(च) क्या छोटे पत्तनों की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उनका आधुनिकीकरण और विस्तार किए जाने की कोई विशिष्ट योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): महापत्तन, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं तथा महापत्तनों के अलावा अन्य पत्तन (गैर- महापत्तन/ लघु पत्तन) संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते है। देश में 12 महापत्तन भारत की कार्गो हैंडलिंग क्षमता का बड़ा हिस्सा संभालते हैं और अवसंरचना, आधुनिकीकरण और स्वचालन में पर्याप्त निवेश से लाभान्वित हुए हैं। भारतीय पत्तन क्षेत्र के संतुलित एवं

निरंतर वृद्धि के लिए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, सागरमाला योजना के तहत राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र पत्तन अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख): महापत्तनों और गैर- महापत्तनों द्वारा हैंडल किए गए कार्गो का ब्यौरा संलग्न है **[अनुबंध- ।]**

(ग) और (घ): भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने राष्ट्रीय जलमार्ग- 1 (रा.ज.-1) (वाराणसी से हल्दिया तक 1390 कि.मी. का जलखंड) की क्षमता के संवर्धन हेतु जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) का कार्यान्वयन शुरू किया है। जेएमवीपी का विकास संबंधी उद्देश्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरने वाले रा.ज.-1 की परिवहन दक्षता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है। जेएमवीपी के अंतर्गत, रोजगार सृजन के साथ- साथ बिहार में विकास का ब्यौरा संलग्न है **[अनुबंध-।।]** महापत्तनों और गैर- महापत्तनों में प्रत्यक्ष रूप से नियोजित व्यक्तियों की संख्या संलग्न है। **[अनुबंध- ।।।]**

(ङ): मंत्रालय ने वर्ष 1997 में समुद्री राज्य विकास परिषद (एमएसडीसी) का गठन किया है जो समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए एक शीर्ष सलाहकार निकाय है और इसका उद्देश्य राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके महापत्तनों और गैर- महापत्तनों का विकास, संबंधित समुद्री राज्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या कैप्टिव उपयोगकर्ताओं तथा निजी भागीदारी के माध्यम से मौजूदा एवं नए लघु पत्तनों का भावी विकास सुनिश्चित करना है। अब तक एमएसडीसी की 20 बैठकें आयोजित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, सागरमाला के तहत सरकार का उद्देश्य आधुनिकीकरण, यांत्रिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से तट रेखा के साथ – साथ समग्र पत्तन अवसंरचना का विकास करना है।

(च): जी हां, सागरमाला, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 14,500 किलोमीटर संभावित नौचालन जलमार्गों का उपयोग करके देश में पत्तन आधारित विकास को बढ़ावा देना है। यह मंत्रालय, सागरमाला योजना के तहत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को पत्तन अवंसरचना परियोजनाओं, तटीय बर्थ परियोजनाओं, सड़क और रेल परियोनजाओं, फिशिंग हार्बरों, कौशल विकास परियोजनाओं, तटीय सामुदायिक विकास, क्रूज टर्मिनल और रो-पैक्स फेरी सेवाओं जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय ने अब तक सागरमाला योजना के अंतर्गत गैर- महापत्तनों के विकास के लिए 4925 करोड़ रु. की कुल लागत से 71 परियोजनाओं हेतु आंशिक सहायता प्रदान की है।

अनुबंध-I

वर्ष	**महापत्तनों द्वारा हैंडल किया गया कार्गो (मिलियन टन)**	**गैर- महापत्तनों द्वारा हैंडल किया गया कार्गो (मिलियन टन)**
2019-20	704.92	615.05
2020-21	672.68	577.30
2021-22	720.05	603.75
2022-23	784.30	651.01
2023-24	819.30	723.59

अनुबंध -II

बिहार में जेएमवीपी की उप परियोजनाएं	**लागत (करोड़ रु. में)**	**सृजित रोजगार की अनुमानित संख्या**
इंटरमॉडल टर्मिनल कालूघाट का विकास	84.5	171
बिहार में 21 सामुदायिक जेट्टियों का विकास	34.79	546
फेयरवे विकास कालुघाट एक्सेस चैनल	9.63	24
फेयरवे विकास सुल्तानगंज – महेंद्रपुर (2019 – 2024)	159.3	52
फेयरवे विकास महेंद्रपुर से बार्ह (2019 - 2024)	182.9	48
फेयरवे विकास सुल्तानगंज - महेंद्रपुर - बार्ह (2027 - 2027)	147.43	84
फेयरवे विकास बार्ह-दीघा	73.14	45
फेयरवे विकास दीघा-मझौवा	58.93	50
पटना में पोत मरम्मत सुविधा का विकास	50	-
क्विक पोंटून ओपनिंग मैकेनिज्म	**11.61**	**5**
कुल	800.62	1025
परियोजना कार्यान्वयन इकाई पटना में जेएमवीपी स्टाफ		**9**
	कुल	**1034**

अनुबंध -III

महापत्तनों और गैर-महापत्तनों पर जनशक्ति को रोजगार

वर्ष	**महापत्तन (संख्या में)**	**गैर- महापत्तन (संख्या में)**
2020	26318	5232
2021	23330	9945
2022	20924	9598
2023	18109	14219
2024	16667	13381

*****